हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 04 अगस्त 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर-मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था।

पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

****

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद

श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।

यह माफी नामा जकरबर्क की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्क नहीं बोलते हैं तो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेन्ट का, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं तो इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 9 अगस्त को महेंद्रगढ़ में 'वंदे मातरम' की भावना से ओत-प्रोत एक तिरंगा कन्सर्ट आयोजित किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, पब्लिक पार्क, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रमुख जगहों पर तिरंगे और वंदे मातरम से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी।

इन प्रदर्शनियों में आने वाले छात्रों और लोगों को तिरंगे के इतिहास, इसके महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी दी जाएगी.। 'सेल्फी विद तिरंगा' अभियान की मुख्य डिजिटल गतिविधि के तहत नागरिक 'हर घर तिरंगा' पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस साल डिजिटल कंटेंट में इसके बोल भी शामिल किए जाएंगे। तिरंगा बनाने, स्थानीय बिक्री केंद्र चलाने, रंगोली बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क के कामों में स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उन्होंने

कहा कि तिरंगे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में इसकी मांग का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों से यह भी अपील की कि वे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराएं।

****

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने फरीदाबाद के सेक्टर-43 से 45 क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग से जुड़े मामले का निस्तारण करते हुए नगर निगम फरीदाबाद को संबंधित खुले क्षेत्र में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने पारित किया।

मामला फरीदाबाद ग्रीन फील्ड निवासी श्वेता शर्मा द्वारा सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायत से जुड़ा था। शिकायत में सेक्टर-43 से 45 के खुले क्षेत्र में ठोस कचरे की अवैध डंपिंग, पर्यावरण प्रदूषण और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पहले जिला प्रशासन और नगर निगम फरीदाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम और जिला प्रशासन ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में बताया कि संबंधित स्थल से ठोस कचरा पूरी तरह हटा दिया गया है तथा भविष्य में दोबारा अवैध डंपिंग नहीं होने देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

****